12/2012 [illegible] - [illegible]

दिनांक	आज्ञा पत्र
3.4.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि योग्य अदालत मातहत में वादी/रैस्पोडेन्ट संख्या-1 ने दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा की आराजी ख0नं0 26/3, 27/1, 62, 69, 70, 139, 160, 191/1, 225, 263, 291 ग्राम पिपलादा एवं भूमि ख0नं0 360 ग्राम स्वामी की ढाणी में स्थित उक्त आराजीयात को पैत्रिक बताते हुये पेश किया जिसमे वंशावली के अनुसार उक्त आराजीयात में वादी का 1/10 हि0 है। अदालत मातहत ने वादी का दावा डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने अपील पेश की जिस पर सुनवाई करतें हुये अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-4-2009 को खारिज कर प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी/रैसपोडेन्ट सं0-1 ने यह प्रार्थना पत्र पुनरीक्षित निम्न आधारो पर पेश किया अदालत हाजा का निर्णय कानून के विपरित है ।अपीलान्ट/प्रतिवादीगण ने अपने काउण्टर दावा में कृषि भूमि ख0नं0 250/1 व 250/3 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था जो वादी द्वारा प्रस्तुत दावे का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्सा नहीं था । जिसके लिये वादी/प्रार्थी ने योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र आदेश-8 नियम-6 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादीगण/ अपीलान्ट के काउण्टर दावा को दावा से अलग करने का पेश किया गया था। जिस पर सुनवाई कर अपीलान्ट के काउण्टर दावे को दावे से अलग किया गया था । जिसके विरूद्ध अपीलान्टस् ने न तो कोई अपील की है और न ही कोई निगरानी पेश की है अर्थात अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-1-2008 अन्तिम हो गया। इस बिन्दू को अपील में सुनवाई का बिन्दू नहीं बनाया जा सकता । इसके लिये तो अपीलान्ट को अपील अथवा निगरानी ही करनी चाहिये थी । अपीलान्ट को इस आदेश की जानकारी होने के बाद भी जानबुझकर छिपाया गया है ।आदेश-8 नियम-6 सीपीसी प्रा0पत्र का आदेश पत्रावली पर मौजूद होते हुये उसका अवलोकन न कर यह आदेश पारित किया गया है। इस कारण इस आदेश पर पुनरीक्षण किया जाकर निर्णय पुनः पारित किया जावे ।अपील में अपीलान्ट सं0-6 व 10 की मृत्यु निर्णय से पूर्व हो गई किन्तु अपीलान्ट ने इनके कायम मुकाम भी नहीं बनाये आदेश मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया गया है ।अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय अदालत हाजा का आदेश का पुनः निरीक्षण कर उसी अनुरूप पुनरीक्षित कर निर्णय पारित किया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत हाजा एवं अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि दिनांक

सीपीसी दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के प्रतिदावे का प्रार्थी/वादी के दावे से कोई सम्बन्ध नहीं होने से अलग किया गया है। यह तथ्य पत्रावली मौजूद है जो निर्णय के समय अवलोकन न कर आदेश पारित किया है।अतः इस प्रार्थना पत्र के निर्णय का अवलोकन कर ही अपना निर्णय पुनः पारित किया जावे । बहस के समर्थन में आरआरडी मई 2007 पेज 315, आरएलडब्लू 2007(2)राज0 पेज-978 पेश की ।

विद्वान वकील अप्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत हाजा का आदेश उचित एवं विधिक ठहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने विवादित आराजी में वादी/ प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के 1/10 हिस्से का ही बंटवारा किया है ।अदालत मातहत में विवादित आराजी के समस्त हिस्सेदारों के विभाजन प्रस्ताव लिये जाकर सम्पूर्ण आराजी का विभाजन करना चाहिये था । अदालत मातहत ने अपना आदेश विभाजन के दावे में अधूरा दिया है । जिसके लिये अदालत मातहत को प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। विवादित आराजी का सम्पूर्ण का बंटवारा प्रस्ताव आने पर सभी पक्षकारों के मध्य बंटवारा हो जायेगा ।इसमें प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 को कोई परेशानी अथवा हानी नहीं हो रही बल्कि इसी आराजी के बाबत अन्य पक्षकार/सहखातेदार बंटवारा का दावा बारबार लाना भी उचित नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर दावे में अग्रिम कार्यवाही के लिये पत्रावली को भिजवाया जावे

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत में बंटवारा केवल वादी के हिस्से का ही किया है। बल्कि बंटवारा सभी सहखातेदारों के मध्य सम्पूर्ण आराजी का ही किया जाना चाहिये ।अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 26-3-2012 में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं । अतः प्रार्थना पत्र पुनरिक्षित खारिज किया जाता है तथा अदालत व हाजा का निर्णय दिनांक 26-3-2012 यथावत रखा जाता है । निर्णय सुनाया गया । 8/4/13 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	